## नियम 74 : उपस्थिति पर प्रतिबंध

यथास्थिति, कोई विधि व्यवसायी या प्राधिकृत प्रतिनिधि, जिसने अपील अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य कार्यवाही के संस्थित करने के संबंध में सलाह दी है या किसी ऐसे मामले के संबंध में अभिवचन बनाए हैं या किसी ऐसे मामले की प्रगति के दौराने किसी पक्षकार के लिए कार्य किया है, वह ऐसे मामले या कार्यवाही या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य मामले में या उससे संबंधित किसी मामले में, सिवाय अपील अधिकरण की पूर्व अनुमति के, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपस्थित नहीं होगा, जिसका हित उसके पूर्व मुवक्किल के हित के विपरीत है।